

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 257 / 2012

दायर दिनांक 28.09.2012

शंकर	उनवान बनाम	प्रभू
------	---------------	-------

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209, 136 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 14.07.2021

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी ने हाजिर होकर प्रकरण में नवीन वाद प्रस्तुत करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद विद्रो का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वकील प्रतिवादी ने प्रा० प० में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर नो ऑब्जेक्शन किया। वादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र को इसी स्तर पर विद्रो किया जाता है। अतः -पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

